न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 102 / 2019 / दावा

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भगवाना जाति खटीक निवासी हरनाथ सिंह की ढाणी तन रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक निवासी हरनाथ सिंह की ढाणी तन रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार / भूमि धारकः जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शंकरलाल, महेन्द्र कुमावत वकील प्रार्थीगण ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 03.02.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण हरनाथ सिंह की ढाणी तन राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के स्थायी निवासी है तथा आवेदकगण की जाति खटीक है एवं आवेदक संख्या 2 का वास्तविक नाम चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक है एवं यही नाम समस्त रिकॉर्ड यानि राशनकार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है। खाता संख्या 50, 51, 221 की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1435 किता 1 कुल रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1436, 1438 ता 1441 किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर वाके ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का हक हिस्सा कब्जेकाश्त व खातेदारीशुदा है जिसमें आवेदक संख्या 1 की जाति बलाई दर्ज है जबकि आवेदक संख्या 1 की सही व वास्तविक जाति खटीक है। आवेदक संख्या 2 चौथूराम व उसके पिता का नाम मूलाराम जाति खटीक है जबकि उक्त भूमियों में आवेदक संख्या 2 का नाम गलत व संहवन सें चतरा पुत्र मुरली जाति बलाई दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। आवेदक संख्या 2 के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में आवेदक संख्या 2 का नाम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक ही है जो सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में केवल मात्र खाता संख्या 50 व 221 की कृषि भूमियों में प्रार्थी संख्या 2 का नाम चतरा पुत्र मुरली जाति बलाई गलत रूप से दर्ज है जिसें दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1434 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1436, 1438 ता 1441 किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर वाके ग्राम राणोली पटवार हल्का राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी/आवेदक संख्या 1 की जाति बलाई को दुरूस्त कर उसके स्थान पर खटीक दर्ज किया जावे एवं प्रार्थी/आवेदक संख्या 2 का नाम भूमियों खसरा नम्बर 1434 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1436, 1438 ता 1441 किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर वाके ग्राम राणोली पटवार हल्का राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड में चतरा पुत्र मुरली जाति बलाई के स्थान पर चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक दुरूस्त कर संशोधित किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थीगण की ओर से आवेदन के समर्थन में अनिलकुमार पुत्र सीताराम तथा पोखरमल पुत्र गीगाराम के शपथ पत्र पेश किये गये। जिनमें सहखातेदार भंवरलाल ने उक्त वांछित दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की। वादपत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए संहवन से गलत अंकित प्रार्थी संख्या 1 की जाति बलाई के स्थान पर खटीक तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम दुरूस्त कर चतरा पुत्र मुरली जाति बलाई के स्थान पर चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक करने हेतु आग्रह किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साक्ष्य शपथ पत्र पर गौर किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार चूंकि प्रार्थीगण का नाम तथा जाति राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत शपथपत्र तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम राणोली पटवार हल्का राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1434 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1436, 1438 ता 1441**

दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर में प्रार्थी संख्या 1 की जाति बलाई को दुरूस्त कर उसके स्थान पर खटीक दर्ज किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम व जाति भूमि खसरा नम्बर 1434 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1436, 1438 ता 1441 किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर वाके ग्राम राणोली पटवार हल्का राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड में चतरा पुत्र मुरली जाति बलाई के स्थान पर चौथूराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner